न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 35 / 2020 **दायर दिनांकः 02 / 03 / 2020**

उनवान

1. रामस्वरूप आयु 53 वर्ष पुत्र रामकरण जाति मीना
2. हरिओम आयु 32 वर्ष पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासीगण बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,91 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनाकः 16 / 05 / 2022

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि गाम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां में पुराने खाता संख्या 1 का ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 आराजी स्थित है जिस पर गत 30 वर्ष से वादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी का पुराना ख0नं0 179 का रकबा 26 बीघा स्थित था। नकल नवीन जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 एवं नक्शा ट्रेस एवं मिलान क्षेत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वर्तमान में खाता संख्या 1 का ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 आराजी किसम बारानी प्रथम सिलींग सिवाय चक राजस्थान सरकार के दर्ज खाता स्थित है। उक्त आराजी पर जब तक वादीगण के पिता व दादा रामकरण जी जीवित थे काबिज काश्त करते थे उनकी मृत्यु के बाद से उक्त ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 आराजी पर वादीगण बिना किसी व्यवधान के लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। खसरा गिरदावरी संवत 2060 सं 2073 में भी ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होना दर्ज है। इस प्रकार बाई ऑपरेशन ऑफ ला (कब्जा मुखालफाना) के तहत वादीगण उक्त

वर्णित आराजी के खातेदार कृषक बन चुके है परन्तु वर्तमान मे आराजी सरकार के दर्ज खाता होने से आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण वादीगण के विरूद्ध 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही कर जुर्माना वसूल करते है तथा बेदखल करने की धमकी देते है जिससे वादीगण को उनके कब्जे काश्त की आराजी को काश्त करने मे परेशानियों का सामना करना पडता है। खसरा गिरदावरी व संवत 2060 से 2073 की नकले वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर हैं वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 पर वादीगण का लम्बे समय से कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण उक्त वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं नॉलिशी हैं बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना संभव नहीं है। अगर उक्त वर्णित आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित नहीं किया गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी व अपने कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होना पडेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह वादीगण को उनके कब्जे काश्त की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे तथा आराजी पर से बेदखल नहीं करें। वाद कारण प्रथम बार आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादीगण को धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 20.01.2020 को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 मियादी 2 माह प्रेषित करवा दिया है लेकिन प्रतिवादी वादीगण को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल करने पर आमादा है। यदि नोटिस अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस अवधि के दौरान प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से वादीगण को बेदखल कर दिया तो बाद में वादीगण द्वारा वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस वजह से वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0 दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। वाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 में स्थित निषेधाज्ञा का होने की वजह से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचि

न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की पारित की जावेः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का नमा दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करें।

(ब) प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण को उनके कब्जे काश्त की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे तथा आराजी पर से बेदखल नहीं करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 रामस्वरूप पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां द्वारा शपथ पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने सशपथ बयानों में बताया वाके ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू में खाता संख्या 1 का ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 आराजी स्थित है जिस पर गत 32 वर्ष से मेरा और मेरे पुत्र हरिओम का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी का पुराना ख0नं0 179 का रकबा 26 बीघा स्थित था। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी वर्तमान में खाता संख्या 1 का ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 किस्म बारानी प्रथम सिलींग सिवायचक राजस्थान सरकार के दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी पर जब तक मेरे पिता रामकरण जी जब तक जिवित थे काबिज काश्त करते थे उनकी मृत्यु के बाद से उक्त आराजी पर मैं एवं मेरा पुत्र हरिओम बिना किसी व्यवधान के लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। खसरा गिरदावरी संवत् 2060 से 2073 में भी ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 आराजी पर मेरा एवं मेरे पुत्र हरिओम का कब्जा काश्त होना दर्ज है। इस प्रकार बाई ऑफरेशन ऑफ ला (कब्जा मुखालफाना) के तहत हम वादीगण उक्त वर्णित आराजी के खातेदार कृषक बन चुके है परन्तु वर्तमान में आराजी सरकार के दर्ज खाता होने से

आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण हम वादीगण के विरूद्ध 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही कर जुर्माना वसूल करते है तथा बेदखल करने की धमकी देते है जिससे हम वादीगण को हमारे कब्जे काश्त की आराजी को काश्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है।

. साक्ष्यवादी के तहत pw2 हरिओम पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां द्वारा शपथ पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने सशपथ बयानों में बताया वाके ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू में खाता संख्या 1 का ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 आराजी स्थित है जिस पर गत 32 वर्ष से मेरा और मेरे पिता रामस्वरूप का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी का पुराना ख0नं0 179 का रकबा 26 बीघा स्थित था। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी वर्तमान में खाता संख्या 1 का ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 किस्म बारानी प्रथम सिलींग सिवायचक राजस्थान सरकार के दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी पर जब तक मेरे दादा रामकरण जी जब तक जिवित थे काबिज काश्त करते थे उनकी मृत्यु के बाद से उक्त आराजी पर मैं एवं मेरा पुत्र हरिओम बिना किसी व्यवधान के लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। खसरा गिरदावरी संवत् 2060 से 2073 में भी ख0नं0 81 का रकबा 2.16 है0 आराजी पर मेरा एवं मेरे पुत्र हरिओम का कब्जा काश्त होना दर्ज है। इस प्रकार बाई ऑफरेशन ऑफ ला (कब्जा मुखालफाना) के तहत हम वादीगण उक्त वर्णित आराजी के खातेदार कृषक बन चुके है परन्तु वर्तमान में आराजी सरकार के दर्ज खाता होने से आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण हम वादीगण के विरूद्ध 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही कर जुर्माना वसूल करते है तथा बेदखल करने की धमकी देते है जिससे हम वादीगण को हमारे कब्जे काश्त की आराजी को काश्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है।

साक्ष्यवादी के तहत pw3 बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया । साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि रामस्वरूप व हरिओम को जानता हूॅ। इनका हमारे गांव बमोरी की खाता संख्या 1 के ख0नं0 81 रकबा 2.16 है0 आराजी पर कब्जा काश्त लगभग 32 वर्ष से चला आ रहा है। इनसे पहले जब तक पूर्वज जीवित थे उक्त आराजी पर काबिज काश्त करते थे। जिनको मैंने देखा है क्योंकि इनके कब्जे काश्त की आराजी के पास ही मेरा खेत है। जिस पर मैं आता जाता रहता हूॅ। इसलिए उक्त 2.16 है0 आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

साक्ष्यवादी के तहत pw4 रामरतन पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया । साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि रामस्वरूप व हरिओम को जानता हूॅ। इनका हमारे गांव बमोरी की खाता संख्या 1 के ख0नं0 81 रकबा 2.16 है0 आराजी पर कब्जा काश्त लगभग 32 वर्ष से चला आ रहा है। इनसे पहले जब तक पूर्वज जीवित थे उक्त आराजी पर काबिज काश्त करते थे। जिनको मैंने देखा है क्योंकि इनके कब्जे काश्त की आराजी के पास ही मेरा खेत है। जिस पर मैं आता जाता रहता हूॅ। इसलिए उक्त 2.16 है0 आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि वादीगण लम्बे समय के कब्जे यानी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी की घोषणा चाहते है। अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित करने के लिए वादीगण द्वारा प्रपत्र p-14 (खसरा परिवर्तित निर्णारण तथा गैर मुस्तलि काश्त) संवत 2062 सन 2005–06 (प्रदर्श–9), संवत 2065 सन 2008–09 (प्रदर्श–11), संवत 2067 सन 2010–11 (प्रदर्श–10), संवत 2068 सन 2011–12 (प्रदर्श–6), संवत 2070 सन 2013–14 (प्रदर्श–3), संवत 2071 सन 2014–15 (प्रदर्श–5), संवत 2072 सन 2015–16 (प्रदर्श–4), संवत 2073 सन 2016–17 (प्रदर्श–2) पेश किये गये। उक्त दस्तावेजों के आधार पर जाहिर होता है कि ग्राम बमोरी की सरकारी भूमि ख0नं0 81 रकबा 2.16 है0 पर वादीगण का संवत 2062 यानी सन 2005–06 से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के मद संख्या 2 व 5 में स्वयं ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 में कार्यवाही कर जुर्माना वसूलती है। धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही के संबंध में स्वयं वादीगण द्वारा जुर्माने की विभिन्न वर्षों की पावतीयां (प्रदर्श–16 ए) पेश की है। इस प्रकार वादीगण स्वयं इस तथ्य को शपथ पूर्वक स्वीकार करते है कि प्रतिवादी द्वारा उनके विरूद्ध वर्ष 2003–04 से लगातार धारा 91 एल.आर.एक्ट में कार्यवाही कर उन्हे अवैध कब्जे से जुर्माना वसूल कर बेदखल किया जा रहा है। वादीगण को बार–बार बेदखल करने के बावजूद, बार–बार पुनः अवैध रूप से कब्जा करते रह है। धारा –91 एल.आर.एक्ट के अधीन प्रतिवादी की कार्यवाही को समझने के लिए धारा 91 का अवलोकन व मनन आवश्यक है जो निम्न प्रकार हैः–

Sec 91 LR Act:- भूमि पर अनाधिकृत कब्जा – (1) कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना विधि संगत (Unlawful) प्राधिकार के अधिवास (Occupation) कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जायेगा और वह यहां के तहसीलदार द्वारा उसकी इच्छा

से या स्थानीय निकाय के आवेदन पत्र पर जिसके पास ऐसी भूमि रखी गई है तुरन्त बेदखल किया जा सकता है और उस भूमि पर (खडी किसी भी फसल या) भवन (Building) या अन्य निर्माण को या उस एकत्रित की गई किसी भी वस्तु को यदि उसे तहसीलदार द्वारा समय पर इस प्रयोजनार्थ निर्धारित पर्याप्त (Reasonable) समय में नहीं हटा लिया जावे तो राज्य सरकार द्वारा जब्त किये जाने का जिम्मेवार होगा और (किसी फसल की दशा में ऐसी रीति) से जैसा तहसीलदार उचित समझे या अन्य दशाओं में जैसा जिलाधीश आदेश दे उसका व्यय कर दिया जायेगा। परन्तु तहसीलदार ऐसे भवन अथवा निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के स्थान पर उसको पूर्णत अथवा उसके किसी भाग को गिराने का आदेश दे सकता है।

(2) ऐसी अतिक्रमी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए जिसमें वह पूरे साल या उसके भाग में वह कार्य भूमि पर अवैधानिक कब्जे में रहा हो अतिक्रमण के प्रथम कार्य के वार्षिक किराये का स्थगन के 50 गुणे तक शास्ति का जैसा भी हो जिम्मेदार होगा। तत्पश्चता से प्रत्येक अतिक्रमण के कार्य के लिए वह तहसीलदार के आदेश द्वारा 3 माह तक के लिए सिविल जैल का और उपरोक्त प्रकार की वर्णित शास्ति का भागीदार होगा। ऐसी शास्ति की राशि भू–राजस्व बकाया के तौर पर वसूल की जावेगी।

(3) उप–धारा (1) के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू करने से पूर्व भूमि पर बिना विधिसंगत प्राधिकार के अधिवास करने वाले अथवा अधिवास जारी रखने वाले व्यक्ति को ऐसी भूमि को विनिर्दिष्ट करते हुए और निश्चित तारीख तक उसे या तो ऐसी भूमि खाली करने के लिए या कारण बताने के लिए कि वह वहां से बेदखल क्यों नहीं कर दिया जाये नोटिस तामील करवायेगा।

(3 क) उप–धारा (2) के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही करने से पूर्ण उस व्यक्ति पर जिसके विषय में रिपोर्ट है कि उसने भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास कर लिया है अथवा वह ऐसा अधिवास जारी रख रहा है, एक नोटिस, जिसमें भूमि को विनिर्दिष्ट करते हुए उसे या तो किसी निर्धारित तारीख तक भूमि खाली करने के लिए या अपील करने और कारण बताने के लिए कि उसे भूमि से बेदखल क्यों नहीं कर दिया जाये, कहा गया हो, विहित रीति से तामील करायेगा।

(4) निम्नलिखित में से किसी स्थिति में अर्थात–

(i) ज्हां पर अतिक्रमणकारी न तो भूमि खाली करता है और न उप–धारा(3) के अधीन जारी किये गये नोटिस के उत्तर में उपस्थित होता हो अथवा

(ii) ऐसे नोटिस के उत्तर में जहां अतिक्रमणकारी भूमि को खाली नहीं करे और उपस्थित हो जाए परन्तु

(क) ऐसा कोई कारण नहीं बताए , अथवा

(ख) कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करदे जो कि ऐसी जांच अथवा सुनवाई के प्श्चात जैसा कि मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो, रद्द कर दिया जाये, तो खण्ड 2 के अधीन आने वाल मामले में जब तक कि अतिक्रमणकारी भूमि को एक सप्ताह के समय में खली करने का आश्वासन नहीं दे और इतने समय में खाली नहीं कर दे, तहसीलदार ऐसी भूमि से अतिक्रमणकारी को हटाने की आज्ञा देगा और उसे वहां से हटायेगा अथवा हटाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति करेगा और उसका कब्जा ले लेगा, और यदि तहसीलदार अथवा इस प्रकार प्रतिनियुक्त किय गये व्यक्ति का ऐसी भूमि पर कब्जा करने में विरोध किया जाए या बाधा डाली जाय तो तहसीलदार उस पर क्षैत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट को भूमि सौंपा जाना बाधित करेगा।

(5) पूर्वगामी उपखाराओं में सिी बात के होते हुए भी ऐसे मामले में जहां ऐसी भूमि धारा 97 के उपबन्ध के खण्ड 2 में निर्दिष्ट श्रेणी के संबंध रखती हो तहसीलदार उप–खण्ड अधिकारी की स्वीकृति से अतिक्रमणकारी की धारा 69 के अन्तर्गत निश्चित की गई तथा प्रीमियम की राशि के अतिरिक्त निर्धारित व जुर्माने की रकम जो उससे वसूल की जा सकती है अदा करने पर बेचा जा सकेगा।

(6) उप–धारा (2) मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) जो कोई भी बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के किसी भूमि पर दखल कर लेता है या राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम , 1992 के प्रवृत होने से पूर्व जिसने ऐसी भूमि पर दखल कर लिया है, तहसीलदार द्वारा उससे ऐसा करने को कहे जाने हेतु लिखित नोटिस की तामील की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर यदि वह ऐसा दखल हटाने में विफल रहता है तो दोषसिद्ध पर ऐस साधारण कारावास से जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से जो बीस हजार रूपयों तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और

(ख) जो कोई भी, राज्य सरकार का ऐसा कर्मचारी है जिसे कलक्टर के लिखित आदेश द्वारा विशिष्ट रूप से इस उप–धारा के अधीन दण्डनीय अपराध को रोकने या निवारित करने का कर्तव्य सौंपा गया है, यदि जानबूझकर या जानते हुए ऐसे अपराध को रोकने के लिए या निवारित करने के लिए उपेक्षा करता है या जानबूझकर छोड देता है तो वह दोषसिद्ध पर साधारण कारावास से जो

एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

परन्तु खण्ड (क) के अधीन के अपराध की दशा में न्यायालय किसी पर्याप्त या विशेष कारण से, जिका वर्णन निर्णय में किया जाएगा, एक मास से कम की अवधि के कारावास का भी दण्डादेश दे सकगा।

परन्तु यह और कि कोई भी न्यायालय कलक्टर की पूर्विक मंजूरी के बिना खण्ड (ख) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

5. राजस्व न्यायालय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अधीन कार्य करते है और इस काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधारपर धारा 88, 89 में खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अतः यहां धारा 63(1)(iv) RT Act का अवलोकन करना आवश्यक है जो निम्न प्रकार हैः—

धारा 63(1)(iv):—When he has been deprived of possession and his right to recover possession is barred by limitation;

इस प्रकार धारा 63(1)(iv) के अनुसार यदि वादीगण, प्रतिवादी को उसकी भूमि पर कब्जे से वंचित करता है और प्रतिवादी का अपनी भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई हो उस भूमि से प्रतिवादी के अधिकार/हि/स्वामित्व समाप्त हो जायेगा।

इस प्रकार धारा 63(1)(iv) RT Act में प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकारों/हितों/स्वामित्व के निर्वापन (extination) का प्रावधान तो है लेकिन ये अधिकार किसके पक्ष में उत्पन्न (create) होगें, इसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

6. प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त में भू—धारक खातेदार काश्तकार द्वारा पुनः कब्जा प्राप्त करने की समय सीमा के The limitation 1963 की धारा 27 एवं अर्टीकल 61 से 67 का अवलोकन करना आवश्यक है। अनु0 61 से 67 के अवलोकन से जाहिर है कि राज्य के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे की समय सीमा 30 वर्ष है। अर्थात यदि राज्य किसी अतिक्रमी से 30 वर्षों के अन्दर अपना कब्जा वापिस नहीं लेता है तो उस अचल संपत्ति पर से राज्य का स्वामित्व/अधिकार/टाईटल समाप्त हो जायेगे।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Ravindra kaur grawal vs manjit kaur grawal 2019 (SC), Mallikarjanain vs Nanjaiah 2019(SC) Dagada bai vs abbas gulab Rustano pinjan 2017 (SC) आदि मामलों में प्रतिकूल कब्जे के संबंध में महत्वपूर्ण प्रतिपादित सिद्धान्त किये गये है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा लाने वाले कब्जाधारी/अतिक्रमी को निम्न तथ्यों को न्यायालय में सिद्ध करने पडेगा कि उसका

1. Open possession है,
2. Peaceful opossession है,
3. Continues possession है,
4. Actual possession है,
5. Excludive possession है,

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम बमोरी के खाता संख्या 1 के ख0नं0 81 रकबा 2.16 है0 भूमि पर वादीगण का न तो 30 वर्षों से अधिक समय से कब्जा है और न ही यह कब्जा शांतिपूर्ण व सतत है। वादीगण द्वारा पेश प्रपत्र 14 व धारा 91 एल.आर. एक्ट. की पेनल्टी पावती के अनुसार वादीगण का वर्ष 2004–2005 से ही कब्जा है। प्रतिवादी द्वारा प्रत्येक वर्ष धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत वादीगण को भूमि से बेदखल किया जाता रहा है और वादीगण बेदखल होने के कुछ महीनों बाद पुनः बार–बार कब्जा करते रहे है।

अतः प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध वादीगण का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद **खारिज** किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां